


गलय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 62/21

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07 <sup>th</sup> 2022	उत्तर पक्ष धारणी / कानून वकिल दिनांक 28/01/2022 का पुराने पत्र 20 उ.ए.	
28 <sup>th</sup> 21	पत्रावली पेश हुई। वकील उत्तर पक्ष उपस्थित। पक्षी के मूख बाड़ में प्रवेता पत्र 07211 वीर स्वकार होकर दावा दात्री स्वर्णि से जाने से उक्त प्रवेता पत्र आम्नापी निवेद्याजा को आज्ञा चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होते से पक्षी का प्रवेतापत्र आम्नापी निवेद्याजा को स्वर्णि विपत जाता है। न्यायालय द्वारा दिनांक 2-7-21 को जारी कियात आदेश प्रभाव शुन्य होते से निरस्त किया जाता है। पत्रावली तब से अन्त होकर काड वकील दाखिल रफ्त है।	

  
 सहायक कलक्टर बस्सी जिला चम्पूर